International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(I), October - December, 2024, pp. 88-92

सामाजिक विकास और आरक्षण

डॉ. सारिका चौहान*

प्रस्तावना

भारत में सामाजिक विकास का मतलब है समाज के हर व्यक्ति की बेहतरी के लिए काम करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके. सामाजिक विकास को मापने के लिए, लोगों की भलाई को प्रभावित करने वाले तत्वों को देखा जाता है. इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और लैंगिक समानता जैसे संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है. सामाजिक विकास के कुछ और पहलू ये रहे

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जरूरतमंद लोगों के शैक्षिक विकास, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है।
- भारत सरकार, समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- सामाजिक विकास के लिए, बाधाओं को दूर करना जरूरी है, ताकि सभी नागरिक आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ सकें।
- सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होना जरूरी है. व्यावसायिक गतिशीलता भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करती है।

सामाजिक विकास की योजनाएँ

- सुकन्या समृद्धि योजना
- एमएफपी योजना की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन
- आदिवासी उत्पादों या निर्माण योजना के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोगतस्करी के शिकार लोगों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए उज्जवल योजना
- महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना

सामाजिक विकास की विशेषताएँ

सामाजिक विकास की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं.

- यह एक समय अवधारणा है जो मानवकल्याण के विभिन्न पहलुओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य और सुरक्षा, की अंतसंबंधता और अन्योन्याश्रयता पर विचार करती है।
- यह एक गतिशील अवधारणा है जो समाज की बदलती जरूरतों और संदर्भों, जैसे वैश्वीकरण, शहरीकरण, प्रवासन और प्रौद्योगिकी के अनुकूल होती है।
- यह एक सहभागी अवधारणा है जिसमें सभी हितधारकों, जैसे व्यक्ति, समुदाय, नागरिक समाज, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण शामिल है।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टेहला (नागौर) राजस्थान।

- यह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों की परस्पर क्रिया शामिल होती है।
- यह एक मानक अवधारणा है जो समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं, जैसे सम्मान, समानता, विविधता और भागीदारी को प्रतिबिंबित करती है।

आरक्षण

आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य है वे लोगों को विशेष सुविधाएं और विकास के अवसर प्रदान करना जो ऐसे समुदायों से संबंधित होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं या जिन्हें ऐसे समुदायों से ताल्लुक होता हैं। आरक्षण के माध्यम से उन लोगों को भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समानता का अवसर मिलता है जो पूर्व में अपने वर्ग के कारण इससे वंचित रहते थे। इसके अलावा, आरक्षण उन लोगों के लिए एक तरह से आर्थिक मदद का भी काम करता है, जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा और अन्य संसाधनी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। समाज में समानता को सुनिश्चित करने के अलावा, आरक्षण का एक और उद्देश्य होता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को बचाना है जो अपने सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दबाव के कारण समान अवसरों से वंचित रहते हैं।

वस्तुतः आरक्षण हमेशा से एक विवादित विषय रहा है, लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आरक्षण सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। विडम्बना यह है कि भारत में उद्यमिता का अभाव है, ऐसे में हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है और अपनी सुविधानुसार आरक्षण की व्याख्या करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की नितांत आवश्यकता है, किन्तु एक सच यह भी है कि आरक्षण के उद्देश्यर्थी के बारे में अधिकांश लोग अनजान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को आरक्षण की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद की जाए। भारत की जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में बच्चों को बाताया जाए और आरक्षण के लिये व्यावहारिक सहमति बनाई जाए। हालांकि, किन्नरों के लिये कोटा सहित आरक्षण नीति में कुछ सुधारों की आवश्यकता है।

भारत में आरक्षण की शुरुआत इस प्रकार हुईः–

- भारत में पिछड़े वर्गों के विरुद्ध अतीत और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना
- यह सुनिश्चित करना कि राज्य और केंद्र के अधीन सेवाओं में सभी जातियों के लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो सके
- सभी को उनकी जाति के बावजूद समान मंच प्रदान करना
- पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना

भारत में आरक्षण के लिए बनाए गए कुछ कानून कौन से हैं?

- आरक्षण नीतियों के लिए बनाए गए कुछ प्रमुख कानून नीचे सूचीबद्ध हैं।
- अनुच्छेद 15(4) पहला संशोधन, 1951 पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान।
- अनुच्छेद 15(5) – 93वां संशोधन, 2006 निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वगर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान।
- अनुच्छेद 16 (3) निवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पर्दा का आरक्षण
- अनुच्छेद 16(4)– पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण।
- अनुच्छेद (330–342) समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है
- अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्यों का कर्तव्य है कि वे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को ऊपर उठाएं।

- अनुच्छेद 39 ए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्यों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है।

आरक्षण तो वर्षों से चला आ रहा है लेकिन ये क्रीमीलेयर क्या है? दरअसल, आरक्षण जो चला आ रहा है, वो जाति आधारित है। आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने आरक्षण की यह व्यवस्था केवल दस साल के लिए इसलिए की थी कि जो जाति या जातियों का समूह वर्षों से शोषण झेलते आ रहा है उसका उत्थान हो सके।

बाद में वोट की राजनीति ने इस आरक्षण को स्थाई जैसा कर दिया। हर दस साल में इसकी मियाद बढ़ती गई और अब यह कभी न खत्म होने वाला प्रावधान बनकर रह गया। कभी न खत्म होने वाला इसलिए क्योंकि किसी सरकार में इसे खत्म करने या कम करने की हिम्मत नहीं है।

सही है, जिनका वर्षों तक शोषण होता रहा और आज भी हो रहा है, उनके उत्थान के ईमानदार प्रयास होने ही चाहिए। जातिगत आरक्षण इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो फिलहाल देश में दो तरह के आरक्षण हैं।

फिलहाल पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण पाने वाले बच्चों के माता पिता दोनों की शामिल आय आठ लाख रुपए से कम है तो ही वह इस श्रेणी के तहत आरक्षण पा सकता है।

हाल में सरकार ने यह फैसला लिया है कि अजा–जजा आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू नहीं किया जाएगा। हो सकता है इस तरह के निर्णय सरकारें जातियों या समूहों के दबाव में लेती हो लेकिन क्रीमीलेयर लागू करने के पक्षधर लोगों और विशेषज्ञों का तर्क भी जायज लगता है।

उनका सीधा सा तर्क यह है कि कोई आरक्षण का हकदार चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वह आरक्षण पाकर कलेक्टर या अन्य अधिकारी बन गया है तो वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने में सक्षम हो जाता है। फिर उस कलेक्टर या अन्य अधिकारी के बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए?

जो अनुसूचित जाति और जनजाति को बिना शर्त दिया जा रहा है। दूसरा पिछड़ा वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण है जिसमें क्रीमीलेयर लागू है।

आरक्षण अब कभी न खत्म होने वाला प्रावधान बनकर रह गया है क्योंकि किसी सरकार में इसे खत्म करने या कम करने की हिम्मत नहीं है। ये क्रीमीलेयर लागू होने से आरक्षण एक तरह का आर्थिक आरक्षण बन जाता है। दिया तो ये भी जाति विशेष को ही जाता है लेकिन सरकार इसके लिए एक आय सीमा निर्धारित कर देती है। दरअसल, हिंदुस्तान की दिक्कत यह है कि यहाँ कलेक्टर का बेटा तो आरक्षण के जरिए कलेक्टर बनता जा रहा है लेकिन इसी जाति के अधिसंख्य लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा का उजाला पहुँच ही नहीं पाया है। वे आज भी गाँवों में, कस्बों में और शहरों में भी लोगों की चाकरी ही कर रहे हैं।... और जिनके घर या खेतों में ये लोग पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं, वे भी नहीं चाहते कि ये ऊपर उठे। वे बड़े लोग इन गरीबों का उत्थान नहीं चाहते। क्योंकि ये गरीब अगर पढ़ लिख गए तो उनकी चाकरी कौन करेगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के 16 ब्लॉक डेवलेपमेंट अधिकारियों (बीडीओ) में से 12 आरक्षित वर्ग (एससी और ओबीसी) से आते हैं। गौरतलब है कि इनमें से पांच एक ही जाति से हैं. और केवल चार सामान्य वर्ग से हैं। इसी तरह, यहां के 18 थानेदारी (एसएचओ) में से नौ सामान्य वर्ग और नौ आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मगर हैरत की बात है कि आरक्षित वर्ग के नौ थानेदारों में से सात, उस समुदाय के हैं, जिस पर राज्य की सपा सरकार की खास कृपा रहती है। वोट बैंक की राजनीति का ऐसा ही उदाहरण उत्तर प्रदेश में बसपा की पिछली सरकार के कार्यकाल में भी दिखा था, जब कैबिनेट रैंक के पद गठित किए गए, जिनमें खास समुदाय को तरजीह मिली। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि किस तरह सकारात्मक व्यवस्था (आरक्षण) के नाम पर कुछ खास समुदाय राजनीतिक मुनाफा कमाते हैं, और भारत में आरक्षण नीति को नाकामयाब साबित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन खास समुदायों का समृद्ध तबका आरक्षण का सारा फायदा उठाता है।

मुझे लगता है कि सर्वोच्च अदालत का सही समय पर आया फैसला अवसर देता है कि देश की आरक्षण नीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर गंभीरता के साथ चचर्चा हो। ओबीसी की सूची में जाट समुदाय के शामिल न होने के अदालत के फैसले ने इस सवाल की ओर इशारा किया है कि आखिर आरक्षण की जरूरत किसको है? साथ ही, इस फैसले ने राजनीतिक वर्ग के सामने भी गंभीर चुनौती पेश की है। इसने भारत की सामाजिक–राजनीतिक संरचना पर पुनर्विधार करने का अवसर भी दिया है। हालांकि अदालत के इस फैसले को बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की फिर से व्याख्या की है, जिसमें भारत में सामाजिक न्याय के पूरे परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। फैसले में यह कहा गया कि केवल जाति सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था की अकेली कसौटी नहीं हो सकती। इसमें पिछडपन के निर्धारण के लिए ऐतिहासिक पिछडेपन और अन्या पर भी सवाल खड़े किए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के 16 ब्लॉक डेवलेपमेंट अधिकारियों (बीडीओ) में से 12 आरक्षित वर्ग (एससी और ओबीसी) से आते हैं। गौरतलब है कि इनमें से पांच एक ही जाति से हैं, और केवल चार सामान्य वर्ग से हैं। इसी तरह, यहां के 18 थानेदारों (एसएचओ) में से नौ सामान्य वर्ग और नौ आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मगर हैरत की बात है कि आरक्षित वर्ग के नौ थानेदारों में से सात, उस समुदाय के हैं. जिस पर राज्य की सपा सरकार की खास कृपा रहती है। वोट बैंक की राजनीति का पैसा ही उदाहरण उतर प्रदेश में बसपा की पिछली सरकार के कार्यकाल में भी दिखा था. जब कैबिनेट रैंक के पद गठित किए गए, जिनमें खास समुदाय को तरजीह मिली। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि किस तरह सकारात्मक व्यवस्था (आरक्षण) के नाम पर कुछ खास समुदाय राजनीतिक मुनाफा कमाते हैं, और भारत में आरक्षण नीति को नाकामयाब साबित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन खास समुदायों का समृद्ध तबका आरक्षण का सारा फायदा उठाता है।

मुझे लगता है कि सर्वोच्च अदालत का सही समय पर आया फैसला अवसर देता है कि देश की आरक्षण नीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर गंभीरता के साथ चर्चा हो। ओबीसी की सूची में जाट समुदाय के शामिल न होने के अदालत के फैसले ने इस सवाल की ओर इशारा किया है कि आखिर आरक्षण की जरूरत किसको है? साथ ही, इस फैसले ने राजनीतिक वर्ग के सामने भी गंभीर चुनौती पेश की है। इसने भारत की सामाजिक–राजनीतिक संरचना पर पुनर्विचार करने का अवसर भी दिया है। हालांकि अदालत के इस फैसले को चारीकी से देखे जाने की जरूरत है। अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की फिर से व्याख्या की है, जिसमें भारत में सामाजिक न्याय के पूरे परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। फैसले में यह कहा गया कि केवल जाति सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था की अकेली कसौटी नहीं हो सकती। इसमें पिछड़पन के निर्धारण के लिए ऐतिहासिक पिछडेपन और अन्याय पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल इस फैसले ने उस प्रचलित धारणा को वैधता प्रदान की है. जिसके मुताबिक हाल के वर्षों में जाति आधारित आरक्षण सामाजिक न्याय का प्रभावकारी उपकरण नहीं रह गया है। आरक्षण की प्रचलित व्यवस्था ने न केवल पार्टियों के राजनीतिक व चुनावी हितों को साधा है, बल्कि इसने समाज में गैर–जरूरी विभाजन भी पैदा किया है।

अपने मौलिक रूप में जो आरक्षण नीति अपनाई गई थी, उसे पूरी तरह खारिज करने के लिए यह बहस नहीं है। सकारात्मक कार्रवाई की यह व्यवस्था सामाजिक तौर पर वंचित समुदायों को सुरक्षा देने और सदियों से हो रहे सामाजिक अन्याय को सुधारने के लिए अपनाई गई थी, और यह काफी हद तक कामयाब भी रही है। मगर पिछले करीब दो दशकों से इसका दुरुपयोग हो रहा है।

दरअसल, जिस ढंग से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, उससे नौकरी, शिक्षा, आर्थिक अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में लाभार्थियों की पहली पीढ़ी ने अपनी और अपनी संतानी की जिंदगी को बेहतर बनाया है। समय के साथ, यह पौठी आरक्षण का फायदा उठाती गई और इस तरह आरक्षित वर्ग के भीतर एक अभिजात्य वर्ग ने पैठ जमा ली और सामाजिक न्याय के फायदों को निचले तबके तक पहुंचने से रोक दिया। अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस वर्ग ने आरक्षण की पात्रता पर होने वाली हर बहस को कमजोर किया।

इसके अलावा एक अहम पहलू पहले से राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभुत्व वाले जातिसमूहाँ के सामाजिक न्याय के लाभों पर एकाधिकार से जुड़ा है। ओबीसी वर्ग के भीतर कुछ ऐसे जाति समूह थे, जो ऐतिहासिक तौर पर आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मोर्चे पर काफी मजबूत स्थिति में थे। इस वर्ग ने आरक्षण का फायदा उठाते हुए, ओबीसी के भीतर आने वाले दूसरे वगों को आरक्षण के लाभ और राजनीतिक सबलीकरण से वंचित कर दिया। ऐसा ही कुछ एससी और एसटी वर्ग के साथ भी हुआ। ऐसे तमाम लोगों से संपर्क के बाद मुझे महसूस हुआ कि न केवल ऊंची जातियों, बल्कि नीची जातियों में इस बात को लेकर गुस्सा है, कि किस तरह उन्ही की जाति के उप समुदायों ने अपनी आक्रामकता और ज्यादा तादाद का फायदा उठाते हुए आरक्षण से मिलने वाले फायदों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसे में, व्यवस्था में सुधार के साथ यह देखे जाने की बेहद जरूरत है कि आरक्षण का फायदा उठाकर कौन–सा समुदाय या जाति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई है. और कौन–सा समुदाय अब तक सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया से अछूता रह गया है। पूरे राजनीतिक वर्ग की इस ओर ध्यान देना होगा। अब वक्त आ गया है कि आरक्षण के लिए एक नई सामाजिक–आर्थिक इकाई बनाई जाए, जो सभी जातियों व धर्मों से ऊपर हो। एक ऐसी व्यवस्था कायम हो, जिसमें केवल जस्पतमंद को ही आरक्षण दिया जाए। कहने की जरूरत नहीं कि इस व्यवस्था में सामाजिक न्याय प्रदान करते वक्त आरक्षण व्यवस्था में कुछ नए समूहों का समावेश करना पड़ेगा, जो अब तक आरक्षण की छतरी से बाहर रह जाते थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सत्येंद्र सिंह, जाति का चक्रव्यूह और आरक्षण
2. http://wwwwww-drishu-com
3. राष्ट्रीय पोर्टल http://www.इंडिया. सरकार भारत
4. eGyanKosh: http://egyankosh-ac-in
5. जी. के. अग्रवाल, भारत में सामाजिक समस्याएँ एवं विकास के मुद्दे
6. तेजस्कर पाण्डेय व बालेश्वर पाण्डेय, सामाजिक विकास एवं समाज कार्य